न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/10/2022	2022/51	17.02.2022	06.02.2023

उनवान

1. श्रीमती बिरमा देवी पत्नी विक्रम सिंह जाति गुर्जन निवासी ग्राम मोहम्मदपुर तहसील वहरोड़ जिला अलवर राज0।

—अपीलान्टा

बनाम

1. श्रीमती बादामी देवी पत्नी मामचन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोहम्मदपुर तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0।
2. उपपंजीयक बहरोड़ जिला अलवर राज0।
3. तहसीलदार बहरोड़ जिला अलवर राज0।

—रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बहरोड़ का निर्णय दिनांक 22.01.2007 नामान्तकरण संख्या 698 वाके ग्राम मोहम्मदपुर तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0

उपस्थितः—

01. श्री आर.के. रावत —**वकील अपीलान्टा**

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड़ के आदेश दिनांक 22.01.2007 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 698 वाके ग्राम मोहम्मदपुर तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0 जिसे बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पॉ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांटा व रैस्पो0 सं0 1 द्वारा हाल आराजी ख0नं0 2420 रकबा 0.42 है0 किस्म चाही द्वितीय वाके ग्राम मोहम्मदपुर तहसील बहरोड़ विधिवत रूप से मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी उपरोक्त के खातेदारान् शीशराम, लीलाराम पुत्रान स्व0 शम्बु एवं मुस0 नानचली बेवा शम्बु, समस्त जाति गुर्जर निवासी मोहम्मदपुर से बजरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 22.12.2006 के द्वारा विक्रेतागण को चूकती विक्रय प्रतिफल अदा कर खरीद की गयी। मुताबिक रजिस्टर्ड बयनामा खरीदशुदा आराजी ख0नं0 2420 रकबा 0.42 है0 का 2/3 भाग अपीलांटा द्वारा एवं 1/3 भाग रेस्पो0 सं0 1 द्वारा खरीद किया गया तथा इस प्रकार बयनामा का पंजीयन करवाया जाकर उक्त मौके पर आराजी 2/3 भाग पर अपीलांटा द्वारा एवं 1/3 भाग पर रैस्पो0 1 द्वारा कब्जा प्राप्त किया

जिला कलक्टर, अलवर

गया। इसी प्रकार अपने–अपने हिस्से की आराजी पर बहैसियत तन्हा मालिक काविज रहकर काश्त करती चली आ रही है। उक्त रजिस्टर्ड बयनामा को ग्राम सम्पर्क शिविर मोहम्मदपुर में रैस्पो0 3 के समक्ष पेश कर मुताबिक बयनामा इंतकाल स्वीकृत करने का निवेदन किया गया। किन्तु रेस्पो0 3 द्वारा बिना बयनामा का अवलोकन किये कार्य की अधिकता के कारण गफलत एवं जल्दवाजी में उक्त अपीलाधीन इंतकाल दर्ज कर अपीलांटा व रैस्पो0 1 के नाम सम्भाग स्वीकृत कर दिया जो हाल राजस्व रिकॉर्ड में इसी प्रकार दर्ज चला आ रहा है। अपीलांटा एक गृहणी है। अनपढ महिला है। उक्त आराजी के खरीद के समय से 2/3 हिस्से पर काबिज है। जिसमें रैस्पो0 1 द्वारा कभी कोई बाधा कारित नहीं की गयी है और ना ही अपीलांटा को राजस्व रिकॉर्ड की कभी कोई आवश्यकता हुई जिसके कारण अपीलांटा द्वारा कभी राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन नहीं किये जाने से रैस्पो0 3 द्वारा स्वीकृत गलत इंतकाल एवं उसके आधार पर दर्ज गलत खातेदारी राजस्व इन्द्राज की कोई जानकारी अपीलांटा को नहीं रही। जिसके कारण अपींलांटा द्वारा उक्त गलत इंतकाल सं0 698 को दुरूस्त नहीं करवाया जा सका। लेकिन अभी हाल ही में दिनांक 20.01.2022 को अपीलांटा को अपने कृषि कार्यों के लिए किसान केडिट कार्ड बनवाने की आवश्यकता होने पर अपीलांटा ने पटवारी हल्का से सम्पर्क कर हाल राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त किया तो पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकॉर्ड देखकर बताया कि वर्णित आराजी की अपीलांटा के नाम खरीद किये गये 2/3 भाग की खातेदारी की बजाय 1/2 भाग की खातेदारी ही है तथा शेष 1/2 भाग की खातेदारी रेस्पो0 1 के नाम दर्ज है। उक्त तथ्य जानकारी होने पर अपीलांटा ने रैस्पो0 1 से रैस्पो0 3 के कार्यालय में उप0 होकर असल विकय पत्र एवं स्वीकृत गलत इंतकाल पेश कर दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया, तो पहले तो रैस्पो0 1 हां हांच करते हुए टालबाल करती रही लेकिन रैस्पो0 1 के मन में बदयान्ति आने के कारण अभी हाल में दिनांक 05.02.2022 को हाल गलत राजस्व रिकॉर्ड को मुताबिक बयनामा दुरूस्त करवाने से साफ इंकार कर अपने नाम 1/2 भाग के गलत खातेदारी अंकन के आधार पर अपनी अपीलाधीन इंतकाल की आराजी को बजरिये रहनबय हिबा एवं अपीलांटा को अपनी ताकत के बल पर बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी। अपीलांटा द्वारा बयनामे के अनुसार दुरूस्ती कराने हेतु रैस्पो0 3 के कार्यालय में जाकर निवेदन किया तो रैस्पो0 3 पे उसे अपने कार्यालय से भगा दिया। इंतकाल सं0 698 की गलत स्वीकृति की जानकारी दि0 20.01.2022 को हुई थी। इस कारण दि0 20.01.2022 तक की अवधि को न्यायहित में मुजरा किये जाने हेतु अलग से प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया जा रहा है। अपीलांटा बजरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 22.12.2006 के द्वारा विक्रेतागण को चूकती विकय प्रतिफल अदा कर खरीद की गयी। मुताबिक रजिस्टर्ड बयनामा खरीदशुदा आराजी ख0नं0 2420 रकबा 0.42 है0 का 2/3 भाग अपीलांटा द्वारा एवं 1/3 भाग रेस्पो0 सं0 1 द्वारा खरीद किया गया तथा इस प्रकार बयनामा का पंजीयन करवाया जाकर उक्त मौके पर आराजी 2/3 भाग पर अपीलांटा द्वारा एवं 1/3 भाग पर रैस्पो0 1 द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया। इसी प्रकार अपने–अपने हिस्से की आराजी पर बहैसियत तन्हा मालिक काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार फरमायी जाकर उक्त गलत स्वीकृत अपीलाधीन इंतकाल सं0 698 वाके ग्राम मोहम्मदपुर तहसील बहरोड को निरस्त करार दिया जावे एवं उक्त गलत इंतकाल के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गलत इन्द्राज को कलमजन करवाया जाकर अपीलांटा के नाम 2/3 भाग की खातेदारी एवं 1/3 भाग की खातेदारी रेस्पो0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करवायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.01.2007 के विरूद्ध दिनांक 17.02.2022 को पेश की गयी है। जो करीब 15 वर्ष बाद पेश की गयी है। फिर भी उक्त अवधि को माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के न्यायिक दिष्टांतों के मध्धेनजर नरमी का रूख अपनाते हुए कंडोन किया जाता है। प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली में उपलब्ध अपीलांटा द्वारा पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विवादित इंतकाल का भी अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा मुताबिक रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 22.12.2006 अपीलांटा का इंतकाल स्वीकृत नहीं किया गया है। बिना बयनामा अवलोकन के तहसीलदार

जिला कलेक्टर, अलवर

द्वारा उक्त विवादित इंतकाल सं0 698 वाके ग्राम मोहम्मदपुर तहसील बहरोड़ स्वीकार कर तस्दीक किया गया है। जो एक विधिक त्रुटि है। अपील अपीलांटा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन एवं उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल सं0 698 वाके ग्राम मोहम्मदपुर तहसील बहरोड़ जिला अलवर निरस्त किया जाता है। अपील अपीलांटा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरोड़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 22.12.2006 का अवलोकन कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)